न्यायालय उपजिलाधिकारी, जसराना।

वाद संख्या 10 /2012-2013 ग्राम एका तहसील जसराना।

अवनीकुमार प्रबन्धक/सचिव बनाम ग्रामपंचायत
श्रीपुत्तूसिंह कालेज आफएजूकेशन
एण्ड टेक्नोलोजीश्यामपुरएका धारा 143ज0वि0अधि0

अन्तिम आदेश दि0 29/12/12
======

प्रस्तुत मामलेमें प्रार्थी अवनीकुमारपुत्र श्रीवीरेश्वर सिंहयादव प्रबन्धक/सचिव श्रीपुत्तू सिंह कालेज आफएजूकेशन एण्ड टेक्नोलोजी श्यामपुरएका तहसील जसरानाजिला फिरोजाबाद द्वाराप्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 27-12-2012 परतहसीलदारजसरानासे जांच करायी गयी। तहसीलदारजसरानाने आख्या दिनांक 29-12-2012 धारा 143 केनियम 135 के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जानेके सम्बन्धमें निर्धारित प्रारूपपरप्रस्तुतकीहै। जिसमें उल्लेखकियाहैकि ग्राम एका के खाता 2788 के गा0सं0 xx 1453 रकबा 1-850है0 के 1/2भाग लगानी 30-00रूपया पर रामदेवी पत्नीसुरेश्वर सिंह निवासीनगलाखेडा भागउडेसर गजाधर सिंह का नाम अंकित है। जिसका रामदेवी द्वारा बैनामा दिनांक 21-12-2012को श्री पुत्तूलाल कालेज xx आफएजूकेशन एण्ड टेक्नोलोजी श्यामपुर एका केपक्ष में किया जा चुकाहै। जिसका अमलदरामद होनाशेषहै। आबादी घोषितहेतु आख्या,प्रेषितकीहै।

आख्याके साथ साक्ष्यमें खतानी 1413-1418फसली तथाबैनामा दिनांक 21-12-2012 की छायाप्रति तथामौके कानक्शा नजरी व स्थलीय फोटो व शपथपत्र [illegible] पुत्रश्री [illegible] सिंह निवासी नगला [illegible] भाग [illegible] तहसीलजसराना व जैदानसिंह पुत्रमहेन्द्रसिंह निवासी ग्राम [illegible] तहसीलजसराना व माखनलाल पुत्रश्री भोजराज निवासी ग्रामश्यामपुर भागएका व शरदसिंह पुत्र [illegible] सिंह निवासीनगलाकमले भाग उडेसर [illegible] सिंह तहसील जसरानादाखिलकियेहैं। तथाआबादीघोषित किये जानेहेतु [illegible] संस्तुतिसहित,प्रेषितकी है। अतःउक्त गाटासंख्यावरकबाको xxxxx आबादीघोषित किया जाना उचितहै।

अतः न्यायहितमें ग्राम एका तहसीलजसरानाकीखतौनी फसलीवर्ष 1413-1418केखा0सं02788 के गा0सं0 1453 रकबा 1-850 के 1/2भाग 0-925है0 लगानी 30-00 रूपयापर रामदेवी पत्नी सुरेश्वरसिंहनिवासी नगला खेडाभाग उडेसर गजाधरसिंहकानाम दर्ज हैजिसके द्वारा उक्त भूमि रकबा का बैनामाश्रीमती रामदेवी पत्नी श्रीसुरेश्वरसिंह निवासीनगला खेडाभागउडेसर गजाधरसिंह द्वारा दिनांक21-12-2012 कोश्री पुत्तूलाल कालेज आफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलोजीश्यामपुर ग्राम एकाकेपक्षमें किया जा चुकाहै।जिसकी अमलदरामद होनाशेषहै। कोधारा 143ज0वि0 अधि0के अन्तर्गत लगानमुक्त करतेहुये आबादीघोषितकियाजाताहै।आदेशकीप्रमाणित प्रति तहसीलदारजसराना xx भेजीजाय। तदनुसार परवानाअमलदरामदजारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाहीपत्रावलीदाखिलदफ्तरहो।

29/12/12

(बी0आर0 [illegible])
उपजिलाधिकारी,
जसराना।

307

श्री अजीत प्रताप सिंह [illegible]
29/12/12
300 लगाकर
7=00
31/12/12
31/12/12

सत्य प्रतिलिपि
31/12/12
रीडर/अहलमद
वा० उप जिलाधिकारी
जसराना